ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खंड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत कुठेहड़ में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव,ग्राम रोजगार सेवक , तकनीकी सहायक कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री प्रेम लाल	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती मनोरमा	01.04.2022 to 16.12.2023
2.	श्री सुभाष कुमार	17.12.2023 to 31.03.2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.12

2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.25
3	7.1	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे ।	0.70
4	7.2	विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	0.02
5	8.2	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि ।	6.58
6	8.3	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि ।	1.68
7	8.5	बिना अनापति प्रमाण पत्र के अनियमित भुगतान	1.40
8	8.6	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करने बारे	20.41
9	9.1	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	0.12
10	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय ।	0.88
11	9.3	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	3.88
12	9.4	सभा निधि से अनुचित भुगतान करने बारे	0.13
13	9.5	बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	38.32

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खंड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-07-2024 से 29-07-2024 तक ग्राम पंचायत कुठेहड़ के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	03/2023	05/2022
2.	2023-2024	10/2023	01/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/ 10 दिनांक:-29.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कुठेहड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्व-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत कुठेहड़ के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 1,2** में भी दिया गया है:-

(i) स्व-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**372714**	**169461**	**542175**	**73346**	**468829**
2023-24	**468829**	**117269**	**586098**	**57671**	**528427**

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	4249338.96	26459701.51	30709040.47	26930358.27	3778682.2
2023-24	3778682.2	13573980.09	17352662.29	13827203.09	3525459.2

कुल योग (i + ii) = ₹528427+ 3525459.2= ₹ 4053886.2

(ख) ग्राम पचांयत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/24 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	1791017036	HP STATE CO-OP.BANK LTD. Chamba	Own Source /5th sfc/sbm 1st	1037881
2	99381100000149	HPGB MASRUND	SDP	453792.2
3	99381100000130	HPGB MASRUND	SDRF	307673.2
4	99381100000121	HPGB MASRUND	RELIEF	289258.48
5	99381100000158	HPGB MASRUND	VKVNY	665992
6	99050100008664	HPGB PUKHARI	Van Vandhu	34159
7	99058100061193	HPGB PUKHARI	IAY	0
8	99380100004806	HPGB MASRUND	SBM	0
9	99381100000351	HPGB MASRUND	15th FC	1202338
10	99058100061189	HPGB MASRUND	RAY/MAY	0
11	99058100061195	HPGB PUKHARI	BASP	27171
12	99058100061194	HPGB PUKHARI	MPLAD	47166
13	99050100008655	HPGB PUKHARI	14th FC	0
		Cash In Hand		200
				4065630.88

अन्तर (क-ख) **4053886.2- 4065630.88** = ₹ -11744.6

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹11744.6 का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.12 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ ₹11744.6 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/08 दिनांक 27.07.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के <u>नियम 11</u> के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹35.25 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3** " पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ **3525459.2** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितिता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED-08 दिनांक 27.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुठेहड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.69 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का

समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹**69617/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	**2022-23**	85805	369	30	11070	96875	32018	64857
2	**2023-24**	64857	369	30	11070	75927	6310	69617

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 27-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹1900/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट – 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण

सरकार को राशि ₹1900/- की वितीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-08 दिनांक 27-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनिकी सहायक व कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 27-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹6.58 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है तथा पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित निविदाओं में फॉर्म –X/M न होने की दशा में रॉयल्टी की

कटोती करने हेतु भी प्रावधान रखा था। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया जिस कारण आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों को राशि `3521993.00 का अनियमित भुगतान किया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को जुर्माना सहित राशि **₹658309**/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट " 5 " में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/06 दिनांक 27-07-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बंधित संविदाकरों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में / X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनिमितितता को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.68 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23,

2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹3521993.00 /- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है ।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है । तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹ 167714/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है ।

इस गम्भीर अनियमितिता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/05 दिनांक 27-07-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी । उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया । यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके ।

8.4 <u>ठेकेदारों/संविदाकार से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.02 लाख की वित्तीय हानि बारे</u>

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है ; तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर (TDS) व्यक्ति के दशा में 1% तथा

फर्म के दशा में 2% आयकर के कटौती करेगा तथा के गई कटौती को सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के **'प्राप्ति शीर्ष'** में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है; अन्यथा दंडात्मक व्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की नमूना/चयनित जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार विभिन्न संविदाकारों/फर्मों को कुल राशि 174000.00/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय की राशि का स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना है;इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹1740.**00**/- की वित्तीय हानि सम्बंधित कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई। इसके लिये संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार के गलती की पुनरावृत्ति न हो।

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription of item	Amount	TDS Amount
1	3-7/02.06.23	SDRF	Mukesh Kumar Govt Contractor	JCB Work	174000	1740
				Total	174000	1740

इस अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/KUTHED/08 दिनांक 27-07-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्तुयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि; भविष्य में नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती नियमित तौर पर की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है; परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि; अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 बिना अनापति प्रमाण पत्र के राशि ₹1.40 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार पौधारोपण के कार्य करवाए गये थे किन्तु उक्त कार्यों हेतु उद्यान विभाग का अनापति प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जोकि सरकारी नियमों की स्पष्ट अवहेलना है और न ही उक्त कार्य की माप पुस्तिका व कार्य प्राकलन, इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जोकि अनुचित प्रतीत होता है

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	12/12.09.23	MGNAREGA	M/S KK Fruit & other plants nursery bagoli	apple plants	**140400**
				Total	**140400**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 27.07.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कुठेहड़ के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त अनापति प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.6 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹20.41 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 (Mnrega Opretional Guidelines 2013) नियम 7.4 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस ० एम० एस० -8/2010-11-आरडीडी फण्ड दिनांक 18 जून 2011 के अंतर्गत मजदूरी घटक तथा गैर मजदूरी घटक से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उपलब्ध सुचना अनुसार मजदूरी के ऊपर कम अनुपात में व्यय किया गया था तथा सामग्री के उपर ज्यादा अनुपात में व्यय किया गया

था जोकि मनरेगा नियमों की अवहेलना की जा रही थी तथा मनरेगा अधिनियम के मूल उदेश्यों की भी अवहेलना थी जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सामग्री जैसे (पत्थर) की तुड़ाई व् ढूलाई मजदूरों से न करके आपूर्तिकर्ताओं से करवाई जा रही थी जिस कारण काम करने वाले मजदूरों को कम कार्य दिवस मिले तथा आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष लाभ दिया गया प्रतीत होता है जोकि अनियमित व अनुचित था पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार निम्नलिखित अनुपात में भुगतान किया गया था

वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत किया गया कुल व्यय राशि (₹ लाख में)	मजदूरी पर खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	सामग्री पर खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	व्यय जो अनुपात में किया जाना था राशि (₹ लाख में)		सामग्री हेतु किया गया अधिक / अनुचित भुगतान (40% से अधिक) राशि (₹ लाख में)
				मजदूरी	सामग्री	
2022-23	161.70	78.87 (48.77%)	82.83 (51.23%)	97.02	64.68	18.13
2023-24	124.92	72.68 (58.18%)	52.24 (41.81%)	74.95	49.96	2.28
					Total	20.41

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 27-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में इस तरह की अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।" दिया गया उत्तर तर्कसंगत नही है क्यूंकि उक्त मजदूरी व् सामग्री पर किया गया व्यय अनुपात में न होने के कारण मजदूरों को रोजगार के लिए कम मिले अत: उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर तथा सामग्री पर किये गये अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा सामग्री पर किये गये अनियमित / अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बंधित से वसूल करके उचित स्त्रोत में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त अनियमितता को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

9.1 ₹0.12 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है

। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत कुठेहड़ के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्ट्रोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
1429	**17/04.5.22**	**12000**	**labour payment**	**sbm**	**drainage system with schok pit dagahal**
	Total	**12000**			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 27.07.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कुठेहड़ के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये ।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.88 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है । तथा इसके अतिरिक्त

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कुठेहड़ द्वारा राशि ₹**88703**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है ।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	06/23.04.22	BRGF	RAJINDER KUMAR	STEEL	**11950**
2	10/29.09.23	SF	SAMBIYAL ENTERPRISES CHAMBA	HP PRINTER	**20945**
3	06/26.06.23	sbm	mukesh kumar govt cont.po jhulara	Bricks	**27300**
3	01/01.06.22	vkvny	M/s Laxmi hardware store	hardware items	**28508**
				Total	**88703**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 27-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कुठेहड़ के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा ।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है ।

अतः इस अनियमितिता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹3.88 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹387608.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	10/29.09.23	SF	SAMBIYAL ENTERPRISES CHAMBA	HP PRINTER	**20945**
2	06/26.06.23	sbm	mukesh kumar govt cont.po jhulara	bricks	**27300**
3	01/01.06.22	vkvny	M/s Laxmi hardware store	hardware items	**28508**
4	12/12.09.23	MGNAREGA	M/S KK Fruit & other plants nursery bagoli	apple plants	**140400**
5	06/27.10.23	MGNAREGA	hp civil supplier corp depot chamba	cement 365 bags	170455
				Total	**387608**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/08 दिनांक 27-07-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 सभा निधि से राशि ₹0.13 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरण अनुसार आपूर्तिकर्ता से कम्पुटर उपकरण इत्यादि क्रय किये गये थे किन्तु उक्त स्टॉक न तो स्टॉक रजिस्टर पर पाया गया और न ही कार्यालय में उपयोग में पाए गये थे जोकि अनुचित प्रतीत होता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	17/29.01.2024	SF	HARI OM PRINTER VILL DHAR	UPS,PENDRIVE,SSD	13086

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/08 दिनांक 27-07-2024 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्तुयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

9.5 राशि ₹38.32 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था । लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-6** अनुसार राशि ₹3831593.00 निर्माण कार्यों /विकास कार्यों हेतु निर्माण सामग्री का क्रय दर्शाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितत है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/ 08 दिनांक 27-7-2024 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है | अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-08 दिनांक 27-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत

अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कारवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 27-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत कुठेहड़ द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सार्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08, दिनांक :-27-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹6.99 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि 45769.32 का अन्तर पाया गया 31-03-2024 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹4053886.20**
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹ **4753746.00**
अन्तर	699859.8

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP KUTHED/08 दिनांक 27.07.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.6 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08, दिनांक 27.07.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुठेहड़ की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

29 OCT 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 29.X.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

4915–4919 का0/GD

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 166/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

29 OCT 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 29.X.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का0/GD

परिशिष्ट - 1 पैरा संख्या 4.1 (क)(i) के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o			" GP KUTHED "	Dev. Block CHAMBA	Distt Chamba H.P
Year	**Op.Balance**	**Receipt**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	372714	169461	542175	73346	468829
2023-24	468829	117269	586098	57671	528427

0

सचिव
ग्राम पंचायत कुठेहड़
विकास खण्ड चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट - 2 पैरा संख्या [illegible] के सन्दर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP KUTHED "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176319	
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	4249338.96	26459701.51	30709040.47	26930358.27	3778682.2
2023-24	3778682.2	13573980.09	17352662.29	13827203.09	3525459.2

सचिव
ग्राम पंचायत कुठेहड़
विकास खण्ड चम्बा (हि०प्र०)

24

परिशिष्ट - 3 पैरा संख्या 6 के सन्दर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP KUTHED "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176319	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5th sfc	295414.32	360965	656379.32	350814	305565.32
2	SDP	114853.2	3224	118077.2	0	118077.2
3	VKVNY	781236.2	121796	903032.2	78228	824804.2
4	SBM 2nd	62677	1141291	1203968	1203968	0
5	SBM 1st	181000	0	181000	0	181000
6	RELIEF	973505.48	210035	1183540.48	826092	357448.48
7	14th FC	2515.76	837	3352.76	3352.76	0
8	15th FC	1412843	1091352	2504195	1411723	1092472
9	MPLAD	164943	26261	191204	121752	69452
10	VAN VANDHU	32770	920	33690	0	33690
11	SDRF	176578	836805	1013383	244008	769375
12	IAY	20798	251	21049	21049	0
13	MMAY/RAY	4138	50	4188	4188	0
14	BASP	26067	731	26798	0	26798
15	MGNREGA	0	22665183.51	22665183.51	22665183.51	0
	Total	4249338.96	26459701.51	30709040.47	26930358.27	3778682.2

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP KUTHED "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176319	Year Ended	2023-24
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5th sfc	305565.32	364554	670119.32	353210	316909.32
2	SDP	118077.2	645225	763302.2	309510	453792.2
3	VKVNY	824804.2	19648	844452.2	178460	665992.2
4	SBM 2nd	0	283697	283697	283697	0
5	SBM 1st	181000	0	181000	0	181000
6	RELIEF	357448.48	32420	389868.48	100610	289258.48
7	14th FC	0	0	0	0	0
8	15th FC	1092472	483206	1575678	373340	1202338
9	MPLAD	69452	1714	71166	24000	47166
10	VAN VANDHU	33690	469	34159	0	34159
11	SDRF	769375	244898	1014273	706600	307673
12	IAY	0	0	0	0	0
13	MMAY/RAY	0	0	0	0	0
14	BASP	26798	373	27171	0	27171
15	MGNREGA	0	11497776.09	11497776.09	11497776.09	0
	Total	3778682.2	13573980.09	17352662.29	13827203.09	3525459.2

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024	Own sources			528427
2	Cash Book Balance on 31.03.2024	5th sfc			316909.32
3	Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP			453792.2
4	Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY			665992.2
5	Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM 2nd			0
6	Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM 1st			181000
7	Cash Book Balance on 31.03.2024	RELIEF			289258.48
8	Cash Book Balance on 31.03.2024	14th FC			0
9	Cash Book Balance on 31.03.2024	15th FC			1202338
10	Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD			47166
11	Cash Book Balance on 31.03.2024	VAN VANDHU			34159
12	Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF			307673
13	Cash Book Balance on 31.03.2024	IAY			0
14	Cash Book Balance on 31.03.2024	MMAY/RAY			0
15	Cash Book Balance on 31.03.2024	BASP			27171
16	Cash Book Balance on 31.03.2024	MGNREGA			0
				Total	4053886.2

	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	A/c No	Branch	Head			
1	1791017036	HP STATE CO-OP.BANK LTD. Chamba	Own Source /5th sfc/sbm 1st			1037881
2	99381100000149	HPGB MASRUND	SDP			453792.2
3	99381100000130	HPGB MASRUND	SDRF			307673.2
4	99381100000121	HPGB MASRUND	RELIEF			289258.48
5	99381100000158	HPGB MASRUND	VKVNY			665992
6	99050100008664	HPGB PUKHARI	Van Vandhu			34159
7	99058100061193	HPGB PUKHARI	IAY			0
8	99380100004806	HPGB MASRUND	SBM			0
9	99381100000351	HPGB MASRUND	15th FC			1202338
10	99058100061189	HPGB MASRUND	RAY/MAY			0
11	99058100061195	HPGB PUKHARI	BASP			27171
12	99058100061194	HPGB PUKHARI	MPLAD			47166
13	99050100008655	HPGB PUKHARI	14th FC			0
		Cash In Hand				200
	Total					4065630.88
					Diffrence	-11744.68

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit
2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .So opening balance taken from bank pass books and DPO Trial balances.
3. mgnarega cash book total not found in audit . So income and expenditure taken from financial statement.

ग्राम पंचायत कुठेहड़

परिशिष्ट-4 पैरा संख्या 7.2 के संदर्भ में

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत कुठेड

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	14	नवु S/o चैन लाल	11-05-22	30-05-22	25/-	25/-	25/-
2	15	चमन सिंह S/o परजा	26-05-22	17-06-22	25/-	25/-	25/-
3	16	भूपिन्द्र सिंह S/o टेक चन्द	7-07-22	25-07-22	25/-	25/-	25/-
4	17	ओम प्रकाश S/o रिड़ू	27-09-22	16-11-22	50/-	50/-	50/-
5	18	कुलदीप सिंह S/o राम सिंह	2-12-22	12-12-22	25/-	25/-	25/-
6	1	हितेश कुमार S/o नाथो	28-12-22	24-01-23	50/-	50/-	50/-
7	2	सुमन कुमार S/o चैन लाल	18-02-23	2-03-23	200/-	200/-	200/-
8	3	परसराम S/o बलदेव	16-02-23	07-03-23	200/-	200/-	200/-
9	4	ठाकरु S/o रतन चन्द	08-03-23	03-04-23	25/-	25/-	25/-
10	5	रविन्द्र कुमार S/o सुख दियाल	10-5-23	23-05-23	200/-	200/-	200/-
11	6	हेमराज S/o पासो	11-5-23	12-06-23	50/-	50/-	50/-
12	7	जितेन्द्र कुमार S/o टेक चन्द	26-6-23	22-07-23	200/-	200/-	200/-
13	8	पवन कुमार S/o पासो	21-7-23	17-8-23	25/-	25/-	25/-
14	9	हेमराज S/o प्रताप चन्द	25-9-23	27-10-23	50/-	50/-	50/-
15	10	नरेश कुमार S/o बालो	24-9-23	30-10-23	50/-	50/-	50/-
16	11	शान्ति प्रसाद S/o बलदेव	23-11-23	5-12-23	200/-	200/-	200/-
17	12	पवन कुमार S/o बुद्धि राम	28-11-23	12-12-23	25/-	25/-	25/-
18	13	राजेन्द्र कुमार S/o जरमो	20-9-23	20-12-23	200/-	200/-	200/-
19	14	मान चन्द S/o जरमो	29-10-23	4-1-24	25/-	25/-	25/-
20	15	कुलदीप सिंह S/o हिम्मत सिंह	8-12-23	4-1-24	200/-	200/-	200/-
21	16	मनोज कुमार S/o नारंगी	13-12-23	27-01-24	50/-	50/-	50/-
22							1900
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

GRAM PANCHAYAT "KUTHED" DEV. BLOCK Chamba, DISTT CHAMBA

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER FROM WHICH ROYALITY NOT DEDUCTED & GST PAID BUT CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	Date of payment	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT
1	Maan singh govt cont.	sbm	04/28.04.22	04/28.04.22	stone	24.00	53.76	80	4300.8	31200.0	29714.3	1485.7
2	Maan singh govt cont.	sbm	05/28.04.22	05/28.04.22	stone	37.00	82.88	80	6630.4	48100.0	45809.5	2290.5
3	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	05/11.01.22	30.05.22	Aggrigate	220.10	356.56	80	28525.0	263425.0	250881.0	12544.0
4	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	09/26.04.22	19.05.22	Stone	21.50	34.83	80	2786.4	19328.0	18407.6	920.4
5	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	14/13.12.21	30.05.22	Stone	273.00	442.26	80	35380.8	245427.0	233740.0	11687.0
6	Mukesh Kumar govt cont. po jhulara	mgnarega	11/11.02.22	19.05.22	Sand	49.20	79.70	80	6376.3	69864.0	66537.1	3326.9
7	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	09/26.04.22	19.05.22	Stone	124.00	200.88	80	16070.4	111476.0	106167.6	5308.4
8	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	04/13.12.21	30.05.22	Stone	300.00	486.00	80	38880.0	269700.0	256857.1	12842.9
9	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	04/13.12.22	30.05.22	Stone	445.00	720.90	80	57672.0	400055.0	381004.8	19050.2
10	Mukesh Kumar govt cont. po jhulara	mgnarega	09/26.04.22	19.05.22	Sand	70.00	113.40	80	9072.0	99400.0	94666.7	4733.3
11	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	09/26.04.22	19.05.22	Aggrigate	76.00	123.12	80	9849.6	100724.0	95927.6	4796.4
12	Mukesh Kumar govt cont. po jhulara	mgnarega	17/13.12.21	25.05.22	Sand	94.70	153.41	80	12273.1	134471.0	128067.6	6403.4
13	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	14/13.12.21	30.05.22	Aggrigate	108.00	174.96	80	13996.8	110092.0	104849.5	5242.5
14	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	04/13.12.21	30.05.22	Aggrigate	0.76	1.23	80	98.5	1063.0	1012.4	50.6
15	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	04/13.12.21	30.05.22	Aggrigate	1.32	2.14	80	171.1	1714.0	1632.4	81.6
16	Mukesh Kumar govt cont. po jhulara	mgnarega	18/05.10.21	25/05/22	Sand	6.76	10.95	80	876.1	9599.0	9141.9	457.1
17	Mukesh Kumar govt cont. po jhulara	mgnarega	14/13.12.21	25/05/22	Sand	15.91	25.77	80	2061.9	22592.0	21516.2	1075.8
18	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	04/13.12.21	30.05.22	Stone	19.00	30.78	80	2462.4	17081.0	16267.6	813.4
19	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	09/26.04.22	19.05.22	Stone	28.70	46.49	80	3719.5	25801.0	24572.4	1228.6
20	Mukesh Kumar govt cont. po jhulara	mgnarega	09/26.04.22	19.05.22	Sand	19.00	30.78	80	2462.4	26980.0	25695.2	1284.8
21	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	09/26.04.22	19.05.22	Aggrigate	32.71	52.99	80	4239.2	32268.0	30731.4	1536.6
22	Mukesh Kumar govt cont. po jhulara	mgnarega	04/13.12.21	25.05.22	Sand	15.45	25.03	80	2002.3	21939.0	20894.3	1044.7
23	MAN SINGH GOVT CONT. PO JHULARA	mgnarega	14/13.12.21	30.05.22	Stone	14.24	23.0688	80	1845.5	12801.8	12192.2	609.6
24	2023.24								0.0			

27

25	Yashpal Singh Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	06/27.10.23	03-01-2024	Sand	17	27.54	80	2203.2	18330.0	17457.1	872.9
26	Yashpal Singh Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	06/27.10.23	03-01-2024	Aggrigate	12.49	20.2338	80	1618.7	14995.0	14281.0	714.0
27	Yashpal Singh Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	06/27.10.23	03-01-2024	Aggrigate	12.41	20.1042	80	1608.3	26903.0	25621.9	1281.1
28	Naveen Kumar Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	12/12.09.23	03-01-2024	Stone	276.33	447.6546	80	35812.4	190667.0	181587.6	9079.4
29	Yashpal Singh Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	06/27.10.23	03-01-2024	Sand	3.8	6.156	80	492.5	4000.0	3809.5	190.5
30	Yashpal Singh Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	06/27.10.23	03-01-2024	Aggrigate	4.76	7.7112	80	616.9	5715.0	5442.9	272.1
31	Naveen Kumar Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	12/12.09.23	03-01-2024	Stone	25.56	41.4072	80	3312.6	17638.0	16798.1	839.9
32	Naveen Kumar Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	12/12.09.23	03-01-2024	Stone	282.4	457.488	80	36599.0	194856.0	185577.1	9278.9
33	Naveen Kumar Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	12/12.09.23	03-01-2024	Stone	716.28	1160.3736	80	92829.9	494240.0	470704.8	23535.2
34	Naveen Kumar Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	12/12.09.23	03-01-2024	Stone	579.71	939.1302	80	75130.4	400000.0	380952.4	19047.6
35	Naveen Kumar Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	12/12.09.23	03-01-2024	Stone	109.2	176.904	80	14152.3	75348.0	71760.0	3588.0
36	Yashpal Singh Govt. Contractor PO Sandhi	mgnarega	06/27.10.23	03-01-2024	Sand	4	6.48	80	518.4	4200.0	4000.0	200.0
							6583.1		526647.2	3521992.8	3354278.8	167713.9
			Add :- 25% panalty		526647.184	131661.8			131661.80			
			Total						658308.98			

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

   Conversion Factor

2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**

   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**

   One Cubic Meter (M^3) Sand — 1.62

   One Cubic Meter (M^3) Aggregate — 1.9

   One Cubic Meter (M^3) Stone — 2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

प्रधान
ग्राम पंचायत कुठेहड़
विकास खण्ड चम्बा (हि०प्र०)

28

28

परिशिष्ट-6 पैरा संख्या 9.5 के संदर्भ में

Gram Panchayat Kuthed D.B Chamba				
statement showing detail with bill voucher of 2021-22 which paid in 2022-23 not produced in audit				
Name of work	**bill no**	**date of bill**	**date of payment**	**amount**
Chinj Ground Khawali Part II (1302003116/AV/8000040497)	1	01-12-2021	19-05-2022	2000
	23	05-11-2021	25-05-2022	27047.6
	24	05-11-2021	25-05-2022	30631.41
	759	05-12-2021	30-05-2022	47090.45
	760	05-12-2021	30-05-2022	47090.45
	761	05-12-2021	30-05-2022	38528.55
	770	05-12-2021	30-05-2022	12070.46
	771	05-12-2021	30-05-2022	30346.31
C/O Play ground Kapdani Gharat (1302003116/AV/8000044945)	252176	28-12-2021	25-05-2022	140580
	36	28-12-2021	25-05-2022	41247.59
	37	28-12-2021	25-05-2022	41247.59
	38	28-12-2021	25-05-2022	17580.94
	39	28-12-2021	25-05-2022	17580.94
	40	28-12-2021	25-05-2022	44628.54
	798	05-01-2022	30-05-2022	47090.45
	799	05-01-2022	30-05-2022	47090.45
	800	05-01-2022	30-05-2022	47090.45
Protection work with Plantation work Singagharat se Chameghu (1302003116/DP/31994649)	684	22-07-2021	30-05-2022	47090.45
	685	22-07-2021	30-05-2022	47090.45
	686	23-07-2021	30-05-2022	47090.45
	687	23-07-2021	30-05-2022	36816.17
Protection work with Plantation work Seru se Digredu (1302003116/DP/31994650)	702	30-07-2021	30-05-2022	47090.45
	703	30-07-2021	30-05-2022	47090.45
	704	31-07-2021	30-05-2022	47090.45
	705	31-07-2021	30-05-2022	47090.45
	706	31-07-2021	30-05-2022	10274.28
Protection work with Plantation work Ghatog (1302003116/DP/31994694)	793	05-01-2022	30-05-2022	41303.78
	794	05-01-2022	30-05-2022	41303.78
	795	05-01-2022	30-05-2022	41303.78
	796	05-01-2022	30-05-2022	44947.35
	797	05-01-2022	30-05-2022	44948.93
C/o Pro with Plantation work Ambulance Road Saili Attala to Khanderka (1302003116/DP/31994816)	724	08-08-2021	30-05-2022	47090.45
	725	08-08-2021	30-05-2022	47090.45
	726	08-08-2021	30-05-2022	47090.45
	778	05-12-2021	30-05-2022	47090.45
	779	05-12-2021	30-05-2022	47090.45
	780	05-12-2021	30-05-2022	5555.515
Land slide Control & Plantation work Bhullu (1302003116/DP/8000042366)	837	16-03-2022	19-05-2022	47090.45
	838	16-03-2022	19-05-2022	47090.45
Drain work with Pucca Path Bhdal (1302003116/FP/32009016)	733	09-08-2021	30-05-2022	6178.97
Land Protection work Triya (1302003116/FP/8000067193)	717	05-08-2021	30-05-2022	47090.45
	718	05-08-2021	30-05-2022	47090.45
	719	05-08-2021	30-05-2022	47090.45
	776	05-12-2021	30-05-2022	47090.45
	777	05-12-2021	30-05-2022	47090.45
Soil conservation work Naguni (1302003116/FP/8000083934)	762	05-12-2021	30-05-2022	34247.6

	763	05-12-2021	30-05-2022	40240.93
Soil conservation work village Khaindairka (1302003116/FP/8000083938)	688	24-07-2021	30-05-2022	47090.45
	689	24-07-2021	30-05-2022	47090.45
Land Protection work Langoh se Kundeli (1302003116/FP/8000091867)	809	15-01-2022	19-05-2022	34247.6
	810	15-01-2022	19-05-2022	34247.6
	813	15-01-2022	19-05-2022	34247.6
	814	15-01-2022	19-05-2022	28348.4
Drain Work at Vill. Lalhun (1302003116/FP/8000094501)	278711	17-03-2022	19-05-2022	85140
	9236	17-03-2022	19-05-2022	132000
Soli Conservation work at Dumping site Khawali (1302003116/FP/8000097767)	252179	28-12-2021	25-05-2022	100584
	252180	28-12-2021	25-05-2022	100584
	30	28-12-2021	25-05-2022	41247.59
	31	28-12-2021	25-05-2022	41247.59
	781	05-01-2022	30-05-2022	43299.9
	782	05-01-2022	30-05-2022	43299.9
	783	05-01-2022	30-05-2022	43299.9
	784	05-01-2022	30-05-2022	27217.08
	785	05-01-2022	30-05-2022	30644.74
	786	05-01-2022	30-05-2022	31910.26
2023-24 Upgrading Road work Triya seri to Singhgharat (1302003116/RC/8000162443)	15855	13-02-2024	01-03-2024	172592
	15856	13-02-2024	01-03-2024	172592
Pacca Path GPS Khawah (1302003116/RC/8000163508)	219296	10-05-2023	01-03-2024	110740.5
Pevar Path Sikraini Nala to Holi (1302003116/RC/8000164095)	57437	08-11-2023	01-03-2024	45575.4
	667	18-11-2023	01-03-2024	34181.55
	668	18-11-2023	01-03-2024	34181.55
	669	18-11-2023	01-03-2024	34181.55
	670	18-11-2023	01-03-2024	34181.55
	671	18-11-2023	01-03-2024	34181.55
Upgrading Road work Goon Gharat se Triya seri (1302003116/RC/8000172101)	15853	13-02-2024	01-03-2024	146328
	15854	13-02-2024	01-03-2024	146328
			Total	**3831593**

ग्राम पंचायत कुठेहड़
विकास खण्ड चम्बा (हि०प्र०)